



वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

802 301

दिनांक

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका C.W.J.C.No. 20108/18 में पारित न्यायादेश के आलोक में B.Ed कोर्स संचालित 10 महाविद्यालयों को वि० वि० आपांक: C/ 33/ Estab/19 दिनांक: 03.01.19 द्वारा स्थायी संबंधन प्रदान किया गया था। स्थायी संबंधन से संबंधित निम्नलिखित महाविद्यालय हैं-

01.	शिक्षा विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
02.	शिक्षा विभाग, एस० पी० जैन कॉलेज, सासाराम।
03.	डॉ० अरविन्द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, एड़ौरा, दुलारपुर भोजपुर।
04.	धरीक्षण सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुल्हड़िया, भोजपुर।
05.	सर्वोदय बी० एड० कॉलेज, शिवसागर, सासाराम, रोहतास।
06.	बी० एड० कॉलेज, परसधुआ, रोहतास।
07.	सिद्धेश्वर कॉलेज ऑफ टीचर्स एडुकेशन, रोहतास।
08.	शकुन्तलम इन्स्यूट ऑफ टीचर्स एडुकेशन, शिवसागर, रोहतास।
09.	शहीद रवीकांत मेमोरियल बी० एड० कॉलेज, दलसागर, बक्सर।
10.	जी० डी० मिश्रा इन्स्यूट ऑफ हाइयर स्टैडीज, बक्सर।
11.	के० डी० कॉलेज ऑफ एडुकेशन, परसीया दलसागर, बक्सर।
12.	प्रह्लाद राय टीचर्स कॉलेज, तियारा बाजार, बक्सर।

स्थायी संबंधन से संबंधित उपरोक्त सभी महाविद्यालयों को पूर्व में दिये गये अस्थायी संबंधन (Provisional) में संशोधन करते हुए सत्र- 2018-19 से स्थायी संबंधन प्रदान किया जाता है।

कुलपति के आदेशानुसार

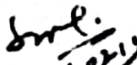
8/0

कुलसचिव

आपांक... C/335/Estab/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

दिनांक... 01/02/19

1. निदेशक/ प्रधानाचार्य, संबंधित B.Ed कोर्स संचालित महाविद्यालय।
2. विधि पदाधिकारी, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
3. कुलपति एवं कुलसचिव महाविद्यालय निरीक्षक कक्षा एवं वाणिज्य तथा विज्ञान का कार्यालय।


मह० निरी०
कक्षा एवं वाणिज्य


कुलसचिव